Need to provide Rajasthan its share of water from Ravi and Beas Rivers-Laid

श्री हनुमान बेनीवाल **(नागौर) :** मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी को रावी- व्यास नदी के जल में पंजाब द्वारा राजस्थान के शेष हिस्सेदारी 0.60 एम.ए.एफ. पानी देने की मांग के संबंध में अवगत करवाना चाहता हूं कि दिनांक 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी-व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार रावी-व्यास नदियों के आधिक्य जल में से राजस्थान के लिए भी उसके हिस्से का जल निर्धारित किया गया व समझौते के कुछ वर्षो बाद राजस्थान अपने हिस्से का पूर्ण जल उपयोग करने की स्थिति में हो गया और राजस्थान सरकार द्वारा भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल, भारत सरकार तथा पंजाब सरकार को कई बार प्रतिवेदन भी दिए और पंजाब सरकार जब राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं देने के उद्देश्य से पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम 2014 लेकर आई तब भारत सरकार द्वारा भेजे गए इस विषय का परीक्षण करके माननीय सर्वोच्चय न्यायालय नें पंजाब सरकार द्वारा लाये गए अधिनियम को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सही नहीं बताया और कहा कि 1981 के समझौते को पंजाब निरस्त नहीं कर सकता इसलिए केंद्र सरकार राजस्थान को उसके हिस्से का शेष जल शीघ्र् दिलवाने हेतु हस्तक्षेप करें ।

-

<u>14.18 hrs</u>